शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Website: www.gmkgc.in   Email: gmkgcdantewada@gmail.com

Phone No. 07856-252646, 07856-252681

एंटीरैगिंग पॉलिसी/गाईडलाईन (ANTI-RAGGING POLICY)

1. प्रस्तावना–

रैगिंग शब्द से भला कौन वाकिफ नहीं है। सुनने में यह शब्द भले ही छोटा है, लेकिन इसकी असलियत बहुत ही दुखद और भयावह होते हैं।माना जाता है कि ग्रीस में 7वीं और 8वीं शताब्दी में खेल समुदायों में खिलाडियों में खेल की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी। मगर उसके बाद सैन्य अधिकारियों ने इसे अपना हिस्सा और फिर धीरे–धीरे स्कूल और कॉलेजों में भी छात्रों ने रैगिंग शुरू कर दी।

रैगिंग के चलते दुनिया में पहली मौत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। यहां की कॉरनेल यूनिवर्सिटी की इमारत से गिरकर छात्र की मौत हो गई थी। भारत में आजादी से पहले ही यहां रैगिंग के बीज पड चुके थे। सबसे पहले अंग्रेजी माध्यम के संस्थानों में रैगिंग का चलन शुरू हुआ। हालांकि उस वक्त यह मात्र सीनियर और जूनियर के बीच परिचय तक ही सीमित थी और शालीनता के साथ सत्र की शुरुआत में छात्रों का आपस में मेल–जोल तक सीमित था परन्तु धीरे–धीरे इसकी स्थिति भयावह होती गई।

शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा का प्रबंधन सभी छात्राओं को सीखने के लिये एक ऐसा माहौल उपलब्ध करवाता है जो किसी भी प्रकार की रैगिंग से मुक्त है और रैगिंग को रोकने के लिए हर संभव प्रयासरत है। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में अनुशासन बनाये रखने तथा रैगिंग सम्बन्धी प्रकरणों की रोकथाम हेतु महाविद्यालय स्तर पर अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति कार्यरत है।

2. रैगिंग क्या है –

व्यवहार में इन घटनाओं को रैगिंग माना जाता है–

i. अगर किसी कॉलेज, संस्थान या हॉस्टल में किसी स्टूडेंट (छात्र या छात्रा) को उसके रंगरूप या पहनावे के आधार पर टिप्पणी की जाए जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे या अजीबोगरीब नाम लेकर पुकारकर प्रताडित किया तो उसें रैगिंग माना जाएगा।

ii. किसी भी स्टूडेंट को उसकी क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के आधार पर अपमानजनक शब्द बोलकर पुकारना और प्रचलित करना रैगिंग माना जाएगा।

iii. किसी भी स्टूडेंट की नस्ल या पारिवारिक अतीत या आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर लज्जित करना और उसका अपमान करना भी रैगिंग माना जाएगा।

iv. नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियमों के तहत परेशान करना या अपमानजनक कार्य करवाना भी रैगिंग माना जाएगा।

v. किसी भी स्टूडेंट की धर्म, जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर मजाक बनाना या अपमानजनक शब्द बोलना भी रैगिंग माना जायेगा।

3. **रैगिंग करने पर कानूनी प्रावधान–**

i. रैगिंग के दोषियों पर रैगिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत कार्वाई की जाएगी, जिसमें दोषी को 3 साल तक सश्रम कैद है।

ii. अब किसी कॉलेज में रैगिंग कानून बडा अपराध है। रैगिंग का दोष साबित होने छात्र को सजा मिलने के साथ ही संबद्ध कॉलेज पर भी कार्रवाई के तौर आर्थिक दंड लगाया जाता है।

4. **यूजीसी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर सजा–**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी एक्ट–1956 के नियमों के अनुसार रैगिंग रोकथाम हेतु कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके उल्लंघन पर यह सजा संभव है–

i. रैगिंग के दोषी छात्र पर 25 हजार रूपये के जुर्माने से लेकर एक लाख रूपए तक का जुर्माना।

ii. रैगिंग के दोषी छात्र को कक्षा में मौजूद होने व शिक्षा के विशेषाधिकार से निलंबित करना।

iii. शैक्षणिक संस्था से मिलने वाली छात्रवृत्ति व अन्य लाभों को रोक दिया जाना अथवा वापस ले लिया जाना।

iv. शैक्षणिक संस्थान में होने वाली किसी भी परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन पर रोक लगाना।

v. संबंधित छात्र के रिजल्ट पर रोक लगा दिया जाना।

vi. छात्र को हास्टल से निष्कासित कर दिया जाना।

vii. दोषी छात्र का दाखिला रद्द कर दिया जाना।

viii. रैगिंग की अवधि से एक से लेकर चार सेमेस्टर तक संस्था से निकाल दिया जाना।

ix. रैगिंग के दोषी छात्र को संस्थान से निकालना एवं निश्चित अवधि तक किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर रोक लगा दिया जाना।

x. यदि रैगिंग के व्यक्तिगत अपराध की पहचान संभव न हो तो सामूहिक दंड दिया जाना।

5. **भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी (IPC) के तहत रैगिंग सम्बन्धी धाराएं–**

i. धारा 294 अश्लील हरकतें एवं गाने गाना

ii. धारा 325 स्वेच्छापूर्वक गंभीर आघात पहुंचाने की सजा

iii. धारा 339 अनुचित क्रूरता

iv. धारा 340 अनुचित कैद

v. धारा 342 अनुचित कैद के लिए सजा

vi. धारा 506 दोषपूर्ण हत्या के लिए सजा

6. **रैगिंग पर बैन–**

विभिन्न शिक्षण संस्थानों में हल्की फुल्की रैगिंग, बुलिंग को मामूली माना जाता था, लेकिन समय गुजरने के साथ साथ इसने गंभीर रूप ले लिया। भारत की बात करें तो सन 1990 तक रैगिंग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया था। आंकडों पर भरोसा करें तो सन 1997 में रैगिंग के सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु में दर्ज किए गए थे। कई छात्रों ने रैगिंग की वजह से कालेज छोड दिया था तथा कई डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। इनमें से कुछ ने मौत को भी गले लगा लिया था। इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में रैगिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया।

7. **छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थान रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001–**

इस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत किसी भी छात्र के कैंपस के भीतर अथवा बाहर रैगिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई छात्र रैगिंग का दोषी साबित होता है तो उसे पांच साल की जेल अथवा जुर्माना अथवा दोनों सजा साथ दी जा सकती हैं।–

8. **रैगिंग की शिकायत कैसे करे–**

i. किसी भी छात्रा को रैगिंग सम्बन्धी कोई भी शिकायत होने पर सर्वप्रथम प्राचार्य अथवा महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होगी जिसके निवारण हेतु महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ii. यदि महाविद्यालय स्तर पर कॉलेज रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते है – http://www.antiragging.in/

iii. महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर छात्राएं नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते है–

National Anti Ragging Help Line (UGC Crisis Hotline)

24x7 Toll Free Number- 1800-180-5522

iv. महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने पर छात्राएं नीचे दर्शित मेल के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है –

helpline@antiragging.in

डॉ. विवेक शर्मा, संयोजक– अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति

श्री सुरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य– अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति

श्रीमती अर्चना झा, सदस्य– अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति

श्रीमती चेतना बाकडे, सदस्य– अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति

(डॉ. आर. के. हिरकने)

प्राचार्य

शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय

दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Principal

Govt. Mahendra Karma Girls College Dantewada (South Bastar) C.G

कार्यालय – प्राचार्य, शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा
जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
Website: www.gmkgc.in Email: gmkgcdantewada@gmail.com
Phone No. 07856-252646, 07856-252681

दन्तेवाड़ा, दिनांक 10/01/2020

//सूचना//

महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17/01/2020 को महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अनुशासन तथा रैगिंग नियंत्रण के सम्बन्ध में अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की बैठक आयोजित है जिसमें आपकी उपस्थित अनिवार्य है।

डॉ. विवेक शर्मा (सहा. प्राध्यापक)
संयोजक, अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(डॉ. आर. के. हिरकने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls
College Dantewada (South) Bastar) C.G

कार्यालय – प्राचार्य, शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा
जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
Website: www.gmkgc.in Email: gmkgcdantewada@gmail.com
Phone No. 07856-252646, 07856-252681

दन्तेवाड़ा, दिनांक 26/02/2020

//सूचना//

महाविद्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अनुशासन बनाये रखने तथा रैगिंग सम्बन्धी प्रकरणों की रोकथाम के उद्देश्य से महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति द्वारा एंटीरैगिंग सम्बन्धी आवश्यक जानकारी से छात्राओं को अवगत कराने के उद्देश्य से दिनांक 03/03/2020 को दोपहर 03:00 बजे मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

डॉ. विवेक शर्मा (सहा. प्राध्यापक)
संयोजक, अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(डॉ. आर. के. हिरकने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls
College Dantewada (South Bastar) C.G

कार्यालय – प्राचार्य, शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा
जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
Website: www.gmkgc.in Email: gmkgcdantewada@gmail.com
Phone No. 07856-252646, 07856-252681

दन्तेवाड़ा, दिनांक 09/12/2020

//सूचना//

महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/12/2020 को महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के अनुशासन तथा रैगिंग नियंत्रण के सम्बन्ध में अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की बैठक आयोजित है जिसमें आपकी उपस्थित अनिवार्य है।

डॉ. विवेक शर्मा (सहा. प्राध्यापक)
संयोजक, अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(डॉ. आर. के. हिरकने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls
College Dantewada (South Bastar) C.G

कार्यालय – प्राचार्य, शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा
जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
Website: www.gmkgc.in Email: gmkgcdantewada@gmail.com
Phone No. 07856-252646, 07856-252681

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29/11/2021

//सूचना//

महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में रैगिंग रोकथाम तथा अन्य सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु दिनांक 04/12/2021 को अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की बैठक आयोजित है जिसमें आपकी उपस्थित अनिवार्य है।

डॉ. विवेक शर्मा (सहा. प्राध्यापक)
संयोजक, अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(डॉ. आर. के. हिरकने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls
College Dantewada (South Bastar) C.G.

Date 06/02/2020

आज दिनाँक 6 फरवरी २०२० को महिला उत्पीड़न कमिटी की बैठक हुई जिसमें महाविद्यालय के वातावरण और छात्राओं की सुरक्षा के सम्बंध में चर्चा की गई जिसमें यदि कोई छात्राओं से कोई शिकायत आती है, तो उसका उचित समाधान किया जाएगा।

छात्राओं को महिला हेल्प लाइन नं. 1091 की जानकारी दी जाएगी।

06/02/2020
संयोजक
महिला उत्पीड़न समिति

सदस्य

(1) श्रीमति चेतना बाकडे -

(2) सुश्री भूमिका साहू -

(3) सुश्री अनिता सिंह चौहान -

Date 4/03/2021

आज दिनांक 4 मार्च 2021 को महिला उत्पीड़न कमिटी की बैठक हुई जिसमें चर्चा कि गई की आज तक छात्राओं से या किसी भी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं आई है अगर कोई शिकायत आती है तो उसका नियमानुसार समाधान किया जायेगा।

04/03/2021
संयोजक
महिला उत्पीड़न समिति

सदस्य

1. श्रीमति चेतना वाकड़े - chetna
2. सुश्री - भूमिका साहू - Bsahu
3. सुश्री - अनिता सिंह चौहान - Achauhan

शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति)

सूक्ष्म वृत्त (Minutes) बैठक दिनांक – 17/01/2020

आज दिनांक 17/01/2020 को प्राचार्य की अध्यक्षता में शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अधोहस्ताक्षरित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

बैठक में लिये गये निर्णय/सूक्ष्म वृत्त (Minutes) निम्नानुसार है–

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में अनुशासन बनाये रखने तथा रैगिंग सम्बन्धी प्रकरणों की रोकथाम हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया की महाविद्यालय स्तर पर एंटीरैगिंग पॉलिसी/गाईडलाईन का निर्माण किया जाये जिसके अन्तर्गत रैगिंग का अर्थ, रैगिंग सम्बन्धी कानूनी प्रावधान, रैगिंग सम्बन्धी शिकायत दर्ज करने की प्रकिया सहित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया जाये।
2. अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति द्वारा छात्राओं को विभिन्न समयांतराल से महाविद्यालय स्तर पर तैयार एंटीरैगिंग पॉलिसी/गाईडलाईन के बारे में अवगत कराया जाएगा।
3. अध्ययनरत छात्राओं से रैगिंग सम्बन्धी किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति के द्वारा 05 दिवस के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

(डॉ. आर. के. हिस्कने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दंतेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls
College Dantewada (South Bastar) C.G

शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति)

मार्गदर्शन कार्यशाला प्रतिवेदन दिनांक – 03/03/2020

आज दिनांक 03/03/2020 को महाविद्यालय की छात्राओं में अनुशासन बनाये रखने तथा रैगिंग सम्बन्धी प्रकरणों की रोकथाम के उद्देश्य से महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति द्वारा एंटीरैगिंग सम्बन्धी आवश्यक जानकारी से छात्राओं को अवगत कराने हेतु अधोहस्ताक्षरित अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में एक मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1. सर्वप्रथम महाविद्यालय की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति के संयोजक एवं सदस्यों के द्वारा रैगिंग रोकथाम हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से रैगिंग में कौनसी घटनाओं को शामिल किया जाता है के सम्बन्ध में छात्राओं को अवगत कराया गया।
2. इसके बाद रैगिंग का दोषी पाये जाने पर लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों के बारे में छात्राओं को जानकारी दी गई।
3. छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थान रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2001 से भी छात्राओं को अवगत कराया गया।
4. अंत में रैगिंग सम्बन्धी कोई भी शिकायत होने पर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया से छात्राओं को अवगत कराया गया।

(डॉ. आर. के. हिरकने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls
College Dantewada (South Bastar) C.G

शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति)

सूक्ष्म वृत्त (Minutes) बैठक दिनांक – 14/12/2020

आज दिनांक 14/12/2020 को अपराह्न 03:00 बजे प्राचार्य की अध्यक्षता में शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अधोहस्ताक्षरित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहें।

बैठक में प्रस्तुत तथ्य एवं लिये गये निर्णय/सूक्ष्म वृत्त (Minutes) निम्नानुसार है–

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में अनुशासन बनाये रखने तथा रैगिंग सम्बन्धी प्रकरणों की रोकथाम हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से माह मार्च–2020 में मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

2. कोविड–19 महामारी के कारण सत्र 2019–20 के माह मार्च–2020 से लॉकडाउन घोषित किया गया था। जिस कारण सत्र 2019-20 की शेष मुख्य परीक्षाएं देरी से आयोजित हुई परिणामस्वरूप आगामी सत्र 2020–21 के लिये प्रवेश भी देरी से प्रारम्भ हो पाया। ऐसी स्थिति में रैगिंग सम्बन्धी प्रकरणों की रोकथाम के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु भौतिक रूप से मार्गदर्शन कार्यशाला के आयोजन के स्थान मोबाईल के माध्यम से छात्राओं से सम्पर्क रखते हुए आवश्यक चर्चा की जा रही है तथा छात्राओं से रैगिंग सम्बन्धी प्रकरण के सम्बन्ध में भी जानकारी प्राप्त की जा रही है जिसमें अभी तक छात्राओं से रैगिंग सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

3. अध्ययनरत छात्राओं की अनुशासन तथा रैगिंग सम्बन्धी किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि विज्ञान संकाय में अध्ययनरत छात्राऐं अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की सदस्य श्रीमती चेतना बाकडे (प्रयोगशाला तकनीशियन) तथा कला संकाय में अध्ययनरत छात्राऐं सदस्य श्रीमती अर्चना झा (सहायक प्राध्यापक, हिन्दी) के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है जिनके निवारण हेतु अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति के आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ. आर. के. हिरकने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls College Dantewada (South Bastar) C.G

शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय दन्तेवाड़ा

जिला – दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

(अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति)

सूक्ष्म वृत्त (Minutes) बैठक दिनांक – 04/12/2021

आज दिनांक 04/12/2021 को प्राचार्य की अध्यक्षता में अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थित में शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा की अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें प्रस्तुत तथ्य एवं लिये गये निर्णय/सूक्ष्म वृत्त (Minutes) निम्नानुसार है–

1. कोविड–19 महामारी के कारण सत्र 2019–20 के माह मार्च–2020 से लॉकडाउन घोषित किया गया था। जिस कारण सत्र 2019–20 की शेष मुख्य परीक्षाएं देरी से आयोजित होने के कारण सत्र 2020–21 के लिये प्रवेश देरी से प्रारम्भ हो पाया तथा माह फरवरी–2021 तक ऑनलाईन मोड में ही अध्यापन कराया जा रहा था।

2. सत्र 2020–21 में शासन के निर्देशानुसार माह फरवरी–2021 से ऑफलाईन अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई थी परन्तु माह अप्रेल–2021 में पुनः लॉकडाउन घोषित हाने के कारण ऑनलाईन मोड में ही अध्यापन प्रारम्भ किया गया।

3. निरन्तर लॉकडाउन एवं ऑनलाईन मोड में अध्यापन की स्थिति में रैगिंग सम्बन्धी प्रकरणों की रोकथाम के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अनुशासन एवं एंटीरैगिंग समिति की सदस्य श्रीमती चेतना बाकडे (प्रयोगशाला तकनीशियन) के द्वारा विज्ञान संकाय में अध्ययनरत छात्राओं से तथा श्रीमती अर्चना झा (सहायक प्राध्यापक, हिन्दी) के द्वारा कला संकाय में अध्ययनरत छात्राओं से मोबाईल के माध्यम से छात्राओं से सम्पर्क रखते हुए आवश्यक चर्चा की जा रही है।

4. सत्र 2021–22 के अन्तर्गत माह अक्टूबर–2021 में शासन के निर्देशानुसार माह ऑफलाईन अध्यापन हेतु अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है।

5. सत्र 2020–21 एवं सत्र 2021–22 के लिये ऑफलाईन अध्यापन के दौरान तथा ऑनलाईन अध्यापन के समय मोबाईल के माध्यम से छात्राओं से सम्पर्क के दौरान छात्राओं से रैगिंग सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

6. महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं में रैगिंग रोकथाम के उद्देश्य से और जानकारी उपलब्ध करवाने तथा अनुशासन तथा रैगिंग सम्बन्धी किसी भी शिकायत को दर्ज कराने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि रैगिंग सम्बन्धी शिकायत दर्ज करने हेतु अधिकृत सदस्यों के बारे में आवश्यक सूचना तथा महाविद्यालय स्तर पर तैयार एंटीरैगिंग पॉलिसी/गाईडलाईन के साथ–साथ शिकायत दर्ज कराने से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण लिंक, ई–मेल तथा हेल्पलाइन नम्बर को भी महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया जाये।

(डॉ. आर. के. हिरकने)
प्राचार्य
शासकीय महेन्द्र कर्मा कन्या महाविद्यालय
दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

Principal
Govt. Mahendra Karma Girls College Dantewada (South Bastar) C.G.